उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्याः–2297 / छः–पु0–9–2014–31(90) / 2010टी0सी0– ।
लखनऊः दिनांकः 14 जुलाई,2014

अधिसूचना

विष अधिनियम–1919 (अधिनियम संख्या–12 सन् 1919) की धारा 2 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विनिर्दिष्ट विष के विक्रय के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य विष अधिनियम, 1919 से है;

(ख) "व्यवहारी" का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति से है;

(ग) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;

(घ) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य ऐसे अधिकारी से है जिसे धारा 7 की उपधारा(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ड.) "अनुज्ञप्तिधारी" का तात्पर्य किसी अनुज्ञप्ति धारक से है;

(च) "अधिसूचना" का तात्पर्य गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(छः) "विष" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विष से है;

(ज) "विक्रय" का तात्पर्य एक अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी द्वारा दूसरे अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी को या किसी अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी द्वारा किसी शैक्षणिक संस्था को या किसी शोध या चिकित्सा संस्था या चिकित्सालय को या ऐसे औषधालय को जो किसी अर्ह चिकित्सा व्यवहारी (पंजीकृत चिकित्सा व्यवहारी) के अधीन हो, या ऐसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक संस्था या औद्योगिक फर्म को जिसको अपने निजी प्रयोग के लिए विष की आवश्यकता हो या सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति को किये गये विक्रय से है।

कब्जे या विक्रय के लिए

3– प्रपक–क में दिये गये या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नवीकृत अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति विष का न विक्रय

नुज्ञप्ति परिसर पर नियमों का संप्रर्दशन — करेगा अथवा न विक्रयार्थ रखेगा।

4— इन नियमों की एक प्रति नियम—4 के अधीन दिये गये अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कारबार के स्थल के प्रमुख स्थान पर सदैव संप्रदर्शित की जायेगी।

अनुज्ञप्ति दिये जाने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन—पत्र

5—(1) अनुज्ञप्ति दिये जाने या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति प्रपत्र—ख में अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित आवेदन—पत्र देगा और ऐसे आवेदन पत्र के साथ स्टाम्प के रूप में दस रुपये का न्यायालय फीस लगा होगा। परन्तु यह कि ऐसे अनुज्ञप्ति क़े नवीकरण के लिए कोई आवेदन—पत्र, जो अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के दिनांक से तीन माह से कम अवधि के पूर्व किया जाय, के साथ स्टाम्प के रूप में पॉच सौ रूपये का न्यायालय फीस लगा होगा।

(2) जब रजिस्ट्रीकरण की मूलप्रति खे गयी हो या नष्ट हो गयी हो, तो अनज्ञिप्त की दूसरी प्रति के लिए लिखित रूप में आवेदन किया जाएगा और उसके साथ स्टाम्प के रूप में पॉच सौ रूपये का न्यायालय फीस लगा होगा।

(3) अनुज्ञप्ति के कारबार के स्थल में किसी परिवर्तन की दशा में अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को नये सिरे से आवेदन करना होगा और ऐसे आवेदन—पत्र के साथ पॉच सौ रूपये का न्यायालय स्टाम्प लगा होगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को कारबार के स्थल पर प्रमुख रूप से संप्रदर्शित करेगा।

अनुज्ञप्ति की अवधि

6— नियम 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस नियमावली के अधीन दिये गये या नवीकृत अनुज्ञप्ति उसके जारी होने के दिनांक से पॉच वर्ष तक प्रवर्तन में रहेगा।

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का विवेकाधिकार

7— अनुज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त या प्रतिसंहृत किया जा सकता है। अनुज्ञप्ति का दिया जाना/नवीकरण/निरस्तीकरण/प्रतिसंहरण अनुज्ञापन प्राधिकारी के विवेकानुसार होगा:

परन्तु यह कि अनुज्ञापन प्राधिकारी संबंधित पक्षकार को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण, यदि कोई हो, बताने का अवसर प्रदान करेगा और वह अनुज्ञप्ति को देने या अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को निरस्त या प्रतिसंहृत करने के कारण को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा:

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक या ऐसा अनुज्ञप्तिधारी जिसके अनुज्ञप्ति का नवीकरण अस्वीकृत कर दिया गया हो या निरस्त प्रतिसंहृत कर दिया गया हो और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेश से व्यथित हो, ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

अनुज्ञप्ति का समापन

8— कोई अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु पर, उसके कारबार के अंतरण पर, या यदि अनुज्ञप्ति किसी फर्म या कम्पनी को दिया गया हो, तो उसके समापन पर या ऐसी फर्म या कम्पनी के कार—बार के अंतरण पर

समाप्त हो जायेगाः

परन्तु यह कि यदि ऐसी फर्म या कम्पनी के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चलाये जा रहे कार–बार को चालू समुत्थान के रूप में अंतरित कर दिया जाता है और अंतरित नई अनुज्ञप्ति के लिए अंतरण के दिनांक के चौदह दिन के भीतर स्टाम्प के रूप में एक सौ रूपये के न्यायालय फीस के साथ आवेदन करता है, तो विद्यमान अनुज्ञप्ति तब तक प्रवर्तन में रहेगी जब तक कि नई अनुज्ञप्ति न दे दी जाय या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र को अस्वीकृत न कर दिया जाय़।

अनुज्ञप्ति के समापन समपहरण या निरस्तीकरण पर स्टाक का निस्तारण

9– नियम 8 के अधीन अनुज्ञप्ति के समपहरण या निरस्तीकरण की दशा में या नियम 9 के अधीन अनुज्ञप्ति के समापन की दशा में विष स्टाक को अनुज्ञप्ति के ऐसे समापन, समपहरण या निरस्तीकरण के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को विकय कर दिया जायेगा उसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेशानुसार शेष विष को नष्ट कर दिया जायेगा। नियम 9 में विनिर्दिष्ट मामले में विकय के आगम को, यदि कोई हो, यथास्थिति मृत अनुज्ञप्तिधारी के विधिक प्रतिनिधि को या उसके अंतरिती को या विघटित फर्म या कम्पनी के समापक को या फर्म या कम्पनी के अंतरिती को सौंप दिया जायेगा।

विषों और रजिस्टर का निरीक्षण करने की शक्ति

10– कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उप निरीक्षक के स्तर का या उससे उच्च अन्य कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई चिकित्साधिकारी या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम संख्या 23 सन् 1940) की धारा 21 के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षण अनुज्ञप्तिधारी के उस परिसर का परिदर्शन और निरीक्षण कर सकता है जहाँ पर विकय के लिए विष रखा है और उसमें पाये गये सभी प्रकार के विष और रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है।

जिन्हें अनुज्ञप्ति दिया जायेगा

11–(1) अनुज्ञप्ति केवल ऐसे व्यक्ति को ही दिया जायेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में विष का कार–बार संचालित करने में सक्षम हो।

(2) किसी फर्म या कम्पनी को जारी की गयी अनुज्ञप्ति कम्पनी के स्वत्वधारी या स्वत्वधारियों या ऐसे स्वत्वधारी या स्वत्वधारियों द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए नामित किये जाने वाले किसी जिम्मेदार व्यक्ति के नाम या सार्वजनिक कम्पनी की दशा में उसके प्रबन्धक के नाम होगी।

(3) इस प्रकार दिये नाम या नामों को फर्म या कम्पनी द्वारा दिये गये लिखित आवेदन पत्र पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है और ऐसे आवेदन के साथ स्टाम्प के रूप में सौ स्पये का न्यायालय–फीस लगा होगा।

विष का विकय

12–(1) विष का प्रत्येक प्रकार का विकय, यथासाध्य, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या जहाँ अनुज्ञप्तिधारी कोई फर्म या कम्पनी हो, वहाँ ऐसी फर्म या कम्पनी के प्रत्यायित प्रतिनिधि के माध्यम से या उसके पर्यवेक्षण के अधीन किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन विष के कब्जे या विकय के लिए दी गयी

अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसर में संग्रह करेगा और वहां से विक्रय करेगा।

जिन व्यक्तियों को विष का विक्रय किया जा सकेगा

13– कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के विष का विक्रय नहीं करेगा जब तक कि वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से न जानता हो या उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोयुक्त पहचान–पत्र, जिसमें उसका पता अंकित हो, के माध्यम से संतोषप्रद रूप में उसकी पहचान न कर ली गयी हो या उसके पते से युक्त दस्तावेज को प्रमाणित न कर दिया गया हो। वह किसी विष का विक्रय करने के पूर्व क्रेता का नाम, टेलीफोन नं0 और पता और विक्रीत विष के उद्देश्य की पुष्टि भी करेगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति को विष का विक्रय नहीं करेगा जो उसे 18 वर्ष से कम की आयु का प्रतीत होता हो या अंगो व जो उसे पूर्ण रूप से विकसित क्षमता वाला व्यक्ति न प्रतीत होता हो।

विष विक्रय रजिस्टर

14–(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें वह विष के सभी प्रकार के विक्रय को सही रूप से प्रविष्ट करेगा, सिवाय ऐसे विष के जो किसी अर्ह चिकित्सा या पशु चिकित्सा व्यवसायी के नुसखे के अनुपालन में किसी रसायनज्ञ, औषधि विक्रेता या कम्पाउण्डर द्वारा प्रयुक्त वितरित या सम्मिश्रित किया जाय। ऐसे रजिस्टर में ऐसे विक्रय के संबंध में निम्नलिखित विवरण को प्रविष्ट किया जायेगा अर्थात्:

(क) क्रम संख्या
(ख) विष का नाम
(ग) विक्रय की मात्रा
(घ) विक्रय का दिनांक
(ड.) क्रेता का नाम और पता, प्रस्तुत किए गये फोटो पहचान–पत्र की क्रम संख्या, निर्गत करने वाले प्राधिकारी का नाम
(च) अपेक्षित विष का क्रेता द्वारा बताया गया प्रयोजन
(छ) क्रेता का हस्ताक्षर (या यदि निरक्षर हो तो अंगूठा निशानी) या डाक द्वारा क्रय की दशा में, पत्र का दिनांक हो) और फाइल के स्रोत का संदर्भ जिसमें उसे परिरक्षित किया गया हो,
(ज) क्रेता की पहचान करने वाले व्यक्ति, यदि कोई हो, का हस्ताक्षर (या यदि निरक्षर हो तो अंगूठा निशानी), और अपेक्षित प्रयोजन,
(झ) व्यवहारी का हस्ताक्षर।

(2) वह रजिस्टर के पृथक भाग में प्रत्येक विष के लिए एक पृथक स्तम्भ में प्रतिदिन विक्रीत प्रत्येक विष की मात्रा को प्रविष्ट किया जायेगा और उन प्रविष्टियों को दिन–प्रतिदिन पूरा किया जायेगा।

(3) उप नियम (1) विनिर्दिष्ट रजिस्टर में स्वयं अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर होंगे, अथवा जब अनुज्ञप्तिधारी कोई फर्म या कम्पनी हो तो ऐसे फर्म या कम्पनी के प्रत्यातित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे और क्रेता को विक्रय या प्रेषण करते समय हस्ताक्षर अंकित किया जायेगा। ऐसे हस्ताक्षर से यह अर्थ लगाया जायेगा कि हस्ताक्षरकर्ता ने इस बात का समाधान कर

लिया है कि नियम–14 की अपेक्षायें पूर्ण कर ली गयी हैं।

(4) उप नियम (1) के मद (छ) के अधीन निर्दिष्ट सभी पत्र और लिखित आदेश अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय के दिनांक से कम से कम दो वर्ष की अवधि तक मूल रूप में परिरक्षित किये जायेंगे।

(5) स्टॉक के दैनिक अतिशेष को रजिस्टर में प्रविष्टि किया जायेगा।

क्रय के लिए रखे गये विष की अभिरक्षा और उन पात्रों पर लेबल लगाना जिनमें विष रखे गये हैं

15– किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस नियमावली के अधीन विक्रय के लिए रखे गये सभी प्रकार के विष को किसी बाक्स, आलमारी, कक्ष या भवन में (रखी गयी मात्र के अनुसार) ताले और चाबी द्वारा सुरक्षित रूप से रखा जोयगा और उसमें अधिनियम के अधीन दिये गये अनुज्ञप्ति के अनुसार रखे गये विष से भिन्न कोई अन्य पदार्थ नहीं रखा जायेगा और प्रत्येक विष को शीशा, धातु से बने बंद किये गये पृथक पात्र या मिट्टी के बंद बर्तन में रखकर ऐसे बाक्स, आलमारी, कक्ष या भवन में सुरक्षित रूप से रखा जायेगा। प्रत्येक ऐसे बाक्स, आलमारी, कक्ष या भवन और ऐसे प्रत्येक पात्र पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषा में लाल अक्षर में शब्द "विष" अंकित किया जायेगा और भिन्न–भिन्न विष से युक्त वर्तनों की दशा में ऐसे विष का नाम अंकित किया जायेगा।

विक्रय किये गये विष की सुरक्षापूर्वक पैकिंग करके लेबल लगाना

16– जब किसी विष का विक्रय किया जाय तो उसे (मात्रा के अनुसार) किसी बंद पात्र या बर्तन में सुरक्षापूर्वक पैक किया जायेगा; और प्रत्येक ऐसे पात्र या पैकेट पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में विष का नाम और अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता उल्लिखित करके लाल लेबल लगाया जायेगा। पात्र पर सार्वभौमिक चेतावनी–प्रतीक भी संप्रदर्शित किये जायेंगे।

प्रयोक्ता द्वारा (सिवाय व्यक्तियों को) एसिड/संक्षारक पदार्थो की सुरक्षा, संग्रहण और घटना–प्रबन्धन

17– एसिड/संक्षारक पदार्थो की सुरक्षा, संग्रहण और घटना–प्रबंधन के लिए किये गये उपायों को रेखांकित करते हुए एक मानक प्रचालन प्रकिया (एस0ओ0पी0) तैयार की जायेगी और उसे प्रयोक्ता के परिसर पर प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जायेगा।

(1) एसिड/संक्षारण पदार्थो की सुरक्षाः–

(क) परिसर में एसिड के कब्जे और सुरक्षित रूप से रख–रखाव के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जायेगा

(ख) एसिड/संक्षारक पदार्थ का संग्रहण उक्त व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

(ग) एसिड/संक्षारक पदार्थ का संग्रहण और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डबल लॉक पद्धति के अधीन किया जायेगा।

(घ) एसिड के प्रयोग का रजिस्टर रखा जायेगा और उसे प्रत्येक तीन माह में परगना मजिस्ट्रेट को फाइल किया जायेगा।

(ड.) प्रयोगशालाओं और संग्रहण के स्थान, जहॉ एसिड/संक्षारक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, को छोड़ने वाले छात्रों और कार्मिकों की अनिवार्य रूप से जांच की जायेगी।

(2) एसिड/संक्षारक पदार्थ का संग्रहण।

(क) रसायनों का संग्रहण प्लास्टिक के बने या अन्य उचित बर्तन में रखा जाय।

(ख) सभी संग्रहण बर्तनों पर रसायन की पहचान और उसमें अन्तर्वलित जोखिम और बरती जाने वाली सावधानियों को इंगित करते हुए लेबल लगाया जाय।

(ग) परस्पर–विरोधी रसायनों का संग्रहण एक साथ न किया जाय।

(घ) जहॉ उचित हो, वहॉ सुरक्षात्मक दस्ताने, एप्रन, सुरक्षात्मक चश्में और फेस–शिल्ड धारण किये जांय।

(ड.) एसिड को सावधानीपूर्वक मिश्रित किया जाय– सदैव एसिड को पानी में मिलायें, पानी को एसिड में कभी न मिलायें।

(3) घटना प्रबंधनः–

(क) चर्म सम्पर्कः दूषित कपड़ों, जूतों और चमड़े की सामग्री (अर्थात् वाचबैण्ड, वेल्ट्स) त्वरित गति से उतार दें। अतिरिक्त रसायन को त्वरित और आहिस्तापूर्वक साफ कर दे अथवा हटा दें। तत्काल कम से कम 30 मिनट तक गुनगुने और मंद रूप से प्रवाहित जल में फ्लश करें। फ्लशिंग को बाधित न करें। अगर फ्लशिंग सुरक्षापूर्वक किया जा सके तो चिकित्सालय जाते समय फ्लशिंग को जारी रखें। तत्काल विष केन्द्र या डाक्टर को काल करें। उपचार की अत्यन्त आवश्यकता है। किसी चिकित्सालय में भेजें।

(ख) नेत्र सम्पर्कः प्रत्यक्ष सम्पर्क से बचें। यदि आवश्यकता हो तो रसायनिक सुरक्षात्मक दस्ताने को पहनें। चेहरे पर से रसायन को त्वरित और आहिस्तापूर्वक साफ कर दें अथवा हटा दें। दूषित नेत्र (नेत्रों) को पलक (पलकों) को खुला रखते हुए गुनगुने और मंद रूप से प्रवाहित जल से कम से कम 30 मिनट तक फ्लश करें। यदि कॉन्टेक्ट लेंस लगा हो तो फ्लशिंग करने और लेंश को हटाने में विलम्ब न करें। ज्यों ही उपलब्ध हो न्यूटल सलाईन सलुशन का प्रयोग किया जा सकता है। फ्लशिंग को बाधित न करें। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सालय को जाते समय फ्लशिंग को जारी रखें।

(ग) अन्तर्ग्रहण (इन्जेसचन):– पीड़ित व्यक्ति के मुख को पानी से धुला दें। यदि स्वाभाविक रूप से उल्टी आती है तो श्वसन किया के जोखिम को कम करने के लिए आगे झुक़ा दें। पीड़ित व्यक्ति के मुख को पुनः पानी से धुला दें। तत्काल विष केन्द्र या डाक्टर को काल करें। उपचार की अत्यन्त आवश्यकता है। किसी चिकित्सालय में भेजें।

(घ) अन्तः श्वसन (इन्हेलेशन):– बचाने के प्रयास के पूर्व अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरते (उचित सुरक्षात्मक उपस्कर धारण करें)। पीड़ित व्यक्ति को ताजी हवा में ले जायं। श्वसन के लिए आरामदायक स्थिति में आराम करने दें। यदि श्वसन में कठिनाई हो रही हो तो प्रशिक्षित कार्मिक आपात आक्सीजन उपलब्ध करायें। पीड़ित व्यक्ति को अनावश्यक रूप से इधर–उधर टहलने न दें। पल्मोनरी

एडेमा के लक्षण विलम्ब से प्रकट हो सकते हैं। तत्काल विष केन्द्र या डाक्टर को काल करें। उपचार की अत्यन्त आवश्यकता है। किसी चिकित्सालय में भेजें।

शास्ति 18– अधिनियम अथवा इस नियमावली के किसी उपबन्ध को भंग करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा–6 के अधीन दण्ड का भागी होगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

अनुसूची

(नियम 2 और 3 देखिये)
विष (एसिड) की सूची

1– ऐसिटिक एसिड (भार में 25% की सान्द्रता से अधिक)
2– ऐसिटिक एनहाइड्राईड
3– सल्फ्यूरिक एसिड (H_2So_4)
(भारत में 5% की सान्द्रता से अधिक)
4– हाइड्रोक्लोरिक एसिड (Hcl) (भार में 5% की सान्द्रता से अधिक)
5– फास्फोरिक एसिड ($H_3 Po_4$)
6– हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HF)
7– परक्लोरिक एसिड ($HClO_4$)
8– फार्मिक एसिड (भार में .10% की सान्द्रता से अधिक)
9– हाइड्रोसायनिक एसिड, उन पदार्थो को छोड़कर निजका भार हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भार में 0.1% भार से कम हो।
10– हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उन पदार्थो को छोड़कर जिसका भार हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भार में 5% भार से कम हो।
11– नाइट्रिक एसिड, उन पदार्थो को छोड़कर जिनका भार नाइट्रिक एसिड के भार में 5% से कम हो)
12– आक्जैलिक एसिड
13– मरकरी–परक्लोराईड (संक्षारक सब्लीमेट)
14– पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उन पदार्थो को छोड़कर जिनका भार पोटैशियम हाइड्राक्साइड के भार में 2% से कम हो।
15– सोडियम हाइड्राक्साइड, उन पदार्थो को छोड़कर जिनका भार सोडियम हाइड्राक्साइड के भार में 2% से कम हो।
16– हाइड्रोजन पराक्साइड (भार में 50% की सान्द्रता से अधिक)
17– फार्मलडिहाईड (भार में 25% की सान्द्रता से अधिक)
18– फिनाएल (भार में 3% की सान्द्रता से अधिक)
19– सोडियम हाइपोक्लोराइट सलूशन (भार में 5% की सान्द्रता से अधिक)

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

प्रपत्र–क

(नियम 4 देखिये)

विष के कब्जे और विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्तिधारी/
प्राधिकृत प्रतिनिधि
का फोटोग्राफ

रजिस्टर संख्याः
अनुज्ञप्तिधारी का नामः
दुकान का स्थानः

श्री .....पुत्र श्री..... जो पुलिस थाना.....
.जिला.....के अधीन.....में (स्थानीय निकाय का नाम).....
.....के रूप में कार–बार संचालित कर रहे हैं, को एतद्द्वारा निम्नलिखित विष के फुटकर विक्रय के कब्जे और उनके फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती हैः–

1.

2.

3.

4.

5.

यह अनुज्ञप्ति पिछले भाग पर विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन है, जिनके किसी भी प्रकार से भंग होने पर अनुज्ञप्ति जब्त हो जायेगी और साथ में विष अधिनियम, 1919 की धारा–6 द्वारा उपबन्धित शास्तियॉ अधिरोपित की जायेंगी।

यह अनुज्ञप्ति इसके दिये जाने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक प्रवर्तन में रहेगा, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के कारण यह पहले ही समाप्त न हो जाय अथवा संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निरस्त न कर दी जाय।

अनुज्ञापन प्राधिकारी की मुहर
और उसके हस्ताक्षर

शर्तें

1– नियम–5(1) और 8 के उपबन्धों के अधीन, किसी दिन दी गयी या नवीकृत अनुज्ञप्ति 5 वर्ष की अवधि तक प्रवर्तन में रहेगी। अनुज्ञप्ति के दिये जाने या उसके नवीकरण हेतु प्रत्येक आवेदक अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित रूप से आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन–पत्र के साथ स्टाम्प के रूप में 100 रूपये का न्यायालय फीस लगा होगा।

2– अनुज्ञप्ति अनुज्ञापनधारी के मृत्यु पर और यदि किसी फर्म या कम्पनी को अनुज्ञप्ति दी गयी हो तो ऐसी फर्म या कम्पनी के समापन पर अथवा उसके अंतरण पर समाप्त हो जायेगी।

3– अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति को किसी पर्याप्त कारण से समपहृत या समाप्त कर सकता है।

अनुज्ञप्तिधारी / प्राधिकृत प्रधिनिधि का फोटोग्राफ–

4– विष का प्रत्येक प्रकार का विक्रय, यथासंभव, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या, जहॉ अनुज्ञप्तिधारी कोई फर्म या कम्पनी हो, वहॉ ऐसी फर्म या कम्पनी के प्रत्यायित प्रतिनिधि के माध्यम से या उसके पर्यवेक्षण के अधीन किया जायेगा।

5– कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के विष का विक्रय नहीं करेगा जब तक कि वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से न जानता हो या उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोयुक्त पहचानपत्र, जिसमें उसका पता अंकित हो, के माध्यम से संतोषप्रद रूप में उसकी पहचान न कर ली गयी हो। वह किसी ऐसे व्यक्ति को विष का विक्रय नहीं करेगा, जो उसे 18 वर्ष से कम आयु का प्रतीत होता हो या उसे पूर्ण रूप से विकसित अंगों व क्षमता वाला व्यक्ति न प्रतीत होता हो।

6(1)– प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें वह विष के सभी प्रकार के विक्रय को प्रविष्ट करेगा, सिवाय ऐसे विष के जो किसी चिकित्सा या पशु चिकित्सा व्यवसायी के नुसखे के अनुपालन में किसी रसायनज्ञ और औषधि विक्रेता द्वारा प्रयुक्त, वितरित या समिश्रित किया जाय। ऐसे रजिस्टर में ऐसे विक्रय के संबंध में निम्नलिखित विवरण को प्रविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:–

(क) क्रम संख्या
(ख) विक्रय–दिनांक
(ग) क्रेता का नाम, टेलीफोन नम्बर और पता
(घ) विष का नाम
(ड.) विक्रय की मात्रा
(च) अपेक्षित विष का क्रेता द्वारा बताया गया प्रयोजन